

**झारखंड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग।**

आदेश सं.- 8/ज.स.( नि. )ल.सिं.रांची-07/2006:- / राँची, दिनांक:-

**आदेश**

श्री अनिरुद्ध प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो के विरुद्ध घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय संकल्प सं. 3146 दिनांक 01.09.2009 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता के दिनांक 30.06.2011 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के तहत संपरिवर्तित किया जाता है।

3. उक्त आदेश पर प्रधान सचिव की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के उप सचिव (नि.)।

ज्ञापांक:- 2370 /

राँची, दिनांक:- 14-5-15

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो / श्री अनिरुद्ध प्रसाद (सेवानिवृत्त कनीय अभियंता), संजय पथ, नियर सुंदर गार्डन, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
14-5-15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के उप सचिव (नि.)।

14-5-15